



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला: सम्भल
तहसील: सम्भल
जावेदन क्र०: 75003150007832
प्रमाणपत्र क्र०: 750431502360

जारी दिनांक: 08/05/2015

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री: कु. इकरा
निवासी: श्री मी. उमर
ग्राम: नवाब खस सरायतरीन
तहसील: सम्भल
जिला: सम्भल



उत्तर प्रदेश राज्य की मुनिहार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. इकरा पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३०३० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या २२/१६/९२ टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। उनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहिप सूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

लोकवाणी केंद्र
तहसील सम्भल

जारी कर्ता केन्द्र: सीएसएस जन सेवा केंद्र
पद: मोहद मनीर जनब सारे, केन्द्र प्रभारी NAVNEET
स्थान: जसब सारे, सम्भल, सम्भल, सम्भल (SN-150400)
दिनांक: 08/05/2015

Digitally Signed by
GOEL
NAVNEET

ससम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सम्भल, सम्भल
दिनांक: 08/05/2015

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा राज्य अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://online.spcn.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, दर्शाया जा सकता है।